Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail- pwdestc@gmail.com

पत्रांकः–327/02व्यग–अधि0–वैय0सहा0/24 दिनांक–10/06/2024

::कार्यालय–ज्ञाप::

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2024–25 हेतु शासनादेश संख्या–1/120994/2023/XXX-(2)/E-33080 दिनांक–10.05.2023 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्ग में निम्नलिखित कार्मिकों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम संख्या–5 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं–

क्रम सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	कार्यहित/ निजीहित	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री बृजेश कुमार	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	नि0ख0 रामनगर	नि0ख0 रानीखेत	कार्यहित	17(1)क
2	श्री मनोज कुमार	वैयक्तिक सहायक	प्रा0ख0 पौड़ी	प्रा0ख0 देहरादून	कार्यहित	17(1)ग
3	श्रीमती सुमन गुप्ता	वैयक्तिक सहायक	आठवां वृत्त टिहरी	चतुर्थ वृत्त रूद्रपुर	कार्यहित	17(1)ग

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/-
(इं0 दीपक कुमार यादव)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/रा0मा0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ... वां वृत्त, लो0नि0वि0,...................................।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ...।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,................................।
6. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक श्री/श्रीमती ....
8. गार्ड पत्रावली।

10/6/24
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
10/6/2024